राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ. 2/08/2020/एस–1/पार्ट–फा0/203 **दिनांकः 27.05.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने डीओ पत्र संख्या 40–6/2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 26. 05.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) से अवगत कराया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने उनके आदेश दिनांक 24–5.–2020 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें क्वारंटीन व्यवस्था भी शामिल है । इन दिशानिर्देशों के अनुसार, संस्थागत क्वारंटीन के लिए प्रोटोकॉल को 7 दिनों के लिए संशोधित किया गया है जिसमें चिकित्सा आंकलन के बाद 7 दिन होम क्वारंटीन शामिल है।

और जबकि, इसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि बाहर से आने वाले भारतीय नागरिक जिन्होने 14 दिन का अग्रिम भुगतान किया था उन्हें आने के बाद होटलों में क्वारंटीन किया गया था । चूंकि वे अब 7 दिनों के बाद होम क्वारंटीन से बाहर आ सकते हैं, शेष 7 दिनों के लिए उनके द्वारा भुगतान की गई राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी, जिसे कुछ होटल वापस करने से इनकार कर रहे हैं।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के उपयोग के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा हैं कि संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सुनिश्चित करें कि विदेश से आने वाले जो होटल क्वारंटीन में रहे हैं और जिन्होंने 14 दिनों का अग्रिम भुगतान किया है, उन्हें बिना और देरी के उनकी शेष राशि वापस कर दी जाएगी।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालन हेतु :–

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
2. समस्त चिन्हित होटल/संस्थागत क्वारंटीन हेतु उपयोग।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. समस्त सदस्य राज्य कार्यकारी समिति डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाइल।